

भाग-1

पेंशन / सेवानिवृत्ति / ग्रेच्युटी / राशिकरण के लिए प्रार्थना-पत्र
(फार्म भरने से पूर्व भाग 6 में उल्लिखित निर्देश पढ़ लिये जायें)

सेवा में,

.....(कुलपति/पता)

.....

.....

महोदय,

मेरा विवरण निम्नवत् है। मुझे पेंशन, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत करने की कृपा करें।

1. नाम _____
2. पिता/पति का नाम _____
3. सेवानिवृत्ति के पश्चात् का पता :-
(क) स्थायी निवास स्थान _____

(ख) पत्र व्यवहार का पता _____

4. जन्म-तिथि _____
5. सेवा प्रारम्भ करने की तिथि _____
6. सेवानिवृत्ति की तिथि _____
7. अन्तिम पद जहाँ से सेवानिवृत्ति हुए, का पद नाम _____
तथा कार्यालय/विभाग का नाम एवं पता। _____
8. मृत्यु होने की दशा में नामिनी का नाम एवं पता जिसे _____
जीवनकाल अवशेष का भुगतान किया जाये। _____

9. पेंशन का भाग या पेंशन की धनराशि जिसका राशिकरण _____
अपेक्षित है। _____
10. भुगतान किस कोषागार से आहरित करना चाहते हैं। _____
11. कोई अन्य पेंशन, यदि प्राप्त करते हों तो :-
(अ) उसकी धनराशि/पी०पी०ओ० नं० तथा कोषागार का नाम _____
(ब) क्या इस पेंशन में पारिवारिक पेंशन का विकल्प दिया _____
गया है। _____

12. सेवक के परिवार का विवरण :-

क्र० सं०	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	शिक्षक/ शिक्षणेत्तर सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/ अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

नोट:- बच्चों की शारिरीक/मानसिक विकलांगता यदि हो तो, स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए ।

भवदीय/भवदीया

(शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक के हस्ताक्षर
दिनांक सहित)

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया उपर्युक्त विवरण सही है । मुझे नियमानुसार पेंशन/सेवा ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पेंशन का राशिकरण स्वीकृत कर दिया जाय । मैं भली-भाँति अवगत हूँ कि यदि मुझे इस प्रार्थना-पत्र के आधार पर उपर्युक्त मदों में भुगतान की गयी धनराशियाँ नियमानुसार अनुमन्य धनराशियाँ से अधिक पायी जायेगी तो मुझे अधिक प्राप्त धनराशियाँ वापस करनी होगी । मैं वचन देता / देती हूँ कि मुझे उपरोक्तानुसार आगणित वास्तविक धनराशि की स्वीकृति के उपरान्त उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि के पुनरीक्षित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं अधिक प्राप्त धनराशि को तत्काल शासन को वापस कर दूँगा / दूँगी ।

(शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक के हस्ताक्षर
दिनांक सहित)

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये ।

(यथासम्भव उसी कार्यालय के सदस्य होने चाहिए जहाँ से सेवानिवृत्त हुए)

1. नामहस्ताक्षर दिनांक सहित.....
पद नाम.....
पता.....
2. नामहस्ताक्षर दिनांक सहित.....
पद नाम.....
पता.....

(कुलपति का नाम एवं हस्ताक्षर)
दिनांक व मुहर

(उपर्युक्त साक्षी यथासम्भव उसी कार्यालय में कार्यरत होने चाहिए जहाँ मृत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत था । अन्य स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी साक्षियों के सम्बन्ध में अपने विवेक से निर्णय लें ।)

पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

.....(कुलपति/पता)

.....

.....

महोदय,

मेरा तथा मृत शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक का विवरण निम्नवत् है । मुझे पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करने की कृपा करें ।

1. मृत शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक का नाम _____
2. मृत शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक के पिता/पति का नाम _____
3. मृत शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक द्वारा धारित अन्तम पद का नाम तथा विभाग/कार्यालय का नाम एवं पता । _____
4. क्या मृत शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक पेंशन पा रहा था यदि हाँ, तो-
(क) सेवानिवृत्ति का दिनांक _____
(ख) पेंशन भुगतानदेश संख्या _____
(ग) पेंशन प्राधिकृत करने वाले अधिकारी का पद नाम एवं पता _____
5. प्रार्थी का :-
(क) नाम _____
(ख) पिता/पति का नाम _____
(ग) जन्म तिथि _____
(घ) मृत शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक से सम्बन्ध _____
6. मृत्यु के उपरान्त विधवा अथवा परिवार के सम्बन्धित सदस्य का पता, जिसे पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जायेगी-
(क) स्थायी निवास स्थान _____
(ख) पत्र व्यवहार का पता _____
7. शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक की मृत्यु का दिनांक (मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न है) _____

8. मृत सरकारी सेवक के परिवार का विवरण :-

क्र० सं०	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	शिक्षक/ शिक्षणेत्तर सेवक से सम्बन्ध	विवाहित/ अविवाहित	पता
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

नोट:- बच्चों की शारिरीक/मानसिक विकलांगता यदि हो तो, स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए ।

9. कोषागार का नाम, जहाँ से भुगतान अपेक्षित है ।

10. अन्तिम पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी का धनराशि (यदि प्राप्त हुआ हो)

(क) पारिवारिक पेंशन

(ख) मृत्यु ग्रेच्युटी

.....

.....

.....

(प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान)
दिनांक सहित)

घोषणा

मैंपत्नी/पति, पुत्र/पुत्री स्वर्गीय श्री.....के (विभाग/कार्यालय का नाम)द्वारा दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकार करते हुए, यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि नियमानुसार अनुमन्य पारिवारिक पेंशन तथा मृत्यु ग्रेच्युटी अधिक धनराशि किसी त्रुटिवश भुगतान कर दी जाती है, तो उसके पुनरीक्षण में तथा अधिक भुगतान की धनराशि की वापसी में मुझे कोई आपत्ति न होगी ।

(प्रार्थी के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान)
दिनांक सहित)

दो साक्षी जिनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये ।

11. नाम हस्ताक्षर दिनांक सहित.....

पद नाम.....

पता.....

12. नाम हस्ताक्षर दिनांक सहित.....

पद नाम.....

पता.....

(कुलपति का नाम एवं हस्ताक्षर)
दिनांक व मुहर

(उपर्युक्त साक्षी यथासम्भव उसी कार्यालय में कार्यरत होने चाहिए जहाँ मृत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारी कार्यरत था । अन्य स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी साक्षियों के सम्बन्ध में अपने विवेक से निर्णय लें ।)

प्रार्थी का विवरण

(स्वीकृति अधिकारी को भेजी जाने वाली प्रति में यह भाग दो प्रतियों में भरकर भेजा जायेगा । कुलपति/वित्त नियंत्रक अपने अभिलेख हेतु इस फार्म की एक प्रति ही भरवायेंगे ।)

1. शिक्षक / शिक्षणेत्तर सेवा की पत्नी / पति के साथ पासपोर्ट आकार का सत्यापित संयुक्त फोटो । (मृत्यु की दशा में प्रार्थी का पासपोर्ट आकार में अपना फोटो)

फोटो ग्राफ
(सत्यापन इस प्रकार किया जाय
कि सील हस्ताक्षर फोटो
एवं फार्म दोनों पर हों)

2. शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक का नाम, पदनाम तथा कार्यालय का नाम ।
3. शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक की मृत्यु की दशा में पारिवारिक पेंशन/मृत्यु ग्रेच्युटी हेतु प्रार्थी का नाम तथा शिक्षण/शिक्षणेत्तर सेवक से सम्बन्ध ।
4. नमूने के हस्ताक्षर :-
(क) शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक के (उसके जीवित रहने पर करवाये जायेंगे ।)
(ख) शिक्षण/शिक्षणेत्तर सेवक की पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के (उसके जीवित रहने अथवा मृत्यु होने दोनों दशाओं में करवाये जायेंगे ।)
5. यदि शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक या उसकी पत्नी / पति अथवा अन्य प्रार्थी अंग्रेजी, हिन्दी अथवा उर्दू में हस्ताक्षर करने में असमर्थ हैं, तो दायें अथवा बायें हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियोंके निशान :-
(क) शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक के
(ख) पत्नी/पति या अन्य प्रार्थी के
6. वैयक्तिक पहचान :-
(क) शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक/पारिवारिक पेंशनर की ऊँचाई ।
(ख) शिक्षक/शिक्षणेत्तर सेवक/पारिवारिक पेंशनर के पहचान चिन्ह ।

उपरोक्त विवरण सत्यापित

वित्त नियंत्रक का नाम एवं हस्ताक्षर :
(दिनांक व मुहर सहित) विश्वविद्यालय का नाम

कुलपति का नाम एवं हस्ताक्षर :
(दिनांक व मुहर सहित) विश्वविद्यालय का नाम

सेवा का इतिहास

विश्वविद्यालय के सेवक का नाम

क्र० सं०	कब से कब तक (केवल दिनांक दिये जायें)	पद का नाम, जिस पर कार्य किया (स्थान सहित) अवकाश असाधारण अवकाश, निलम्बन, प्रोन्नति, पदावनति, प्रतिनियुक्ति एवं व्यवधान की अवधियाँ भी इंगित की जायें ।	स्तम्भ-3 में दर्शायी गयी अवधि का	यदि कोई अवधि पेंशनयुक्त नहीं है, तो कारण सहित उसका विवरण दिया जाय ।
1	2	3	4	5

उपरोक्त में दर्शाई गई सेवा पेंशन हेतु अर्हकारी होना सत्यापित किया जाता है ।

(प्रस्थापना अधिकारी/मुख्य कार्मिक अधिकारी
के हस्ताक्षर) विश्वविद्यालय का नाम

(कुलपति का नाम एवं हस्ताक्षर)
विश्वविद्यालय का नाम

(विश्वविद्यालय कार्यालय के उपयोग हेतु)

1. शिक्षणेत्तर सेवक का नाम
2. शिक्षणेत्तर सेवक की जन्मतिथि
3. सेवा में आने का दिनांक
4. सेवानिवृत्ति का दिनांक

- | | वर्ष | मास | दिन |
|---|-------|-------|-------|
| 5. कुल अवधि (4-3) | | | |
| 6. सैन्य सेवा, जो पेंशन के लिए अर्ह है, की अवधि
(ऐपेन्डिक्स-ए संलग्न किया जाए) | | | |
| 7. अन्य सेवा (यदि कोई हो), जिसे पेंशन हेतु अर्ह माना
गया (आदेश संलग्न करें) | | | |
| 8. पेंशन अनर्ह सेवा :- | | | |
| (क) 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व की सेवा | | | |
| (ख) सेवा में विच्छेद | | | |
| (ग) पेंशन के लिए अनर्ह निलम्बन की अवधि | | | |
| (घ) कोई अन्य सेवा, जो पेंशन हेतु अनर्ह हो (कारण
सहित उल्लेख किया जाये) | | | |
| योग (क+ख+ग+घ) | | | |

- | | वर्ष | मास | दिन |
|---|--------------------------------------|-------|-------|
| 9. पेंशन हेतु अर्ह सेवा की कुल अवधि (5+6+7+8) | | | |
| | या (छमाहियाँ) | | |
| 10. पेंशन का प्रकार | प्रतिकार/अशक्तता/रिटायरिंग/अधिवर्षता | | |
| 11. सेवानिवृत्ति के दिनांक को मूल नियम-9 (21) (1) में
परिभाषा परिलब्धियाँ | | | |
| 12. औसत परिलब्धियों का आगणन | | | |
| अन्तिम दस मास में प्राप्त/प्राप्त होने वाली परिलब्धियाँ (अनावश्यक को निरस्तकर दिया जाय) | | | |

धारित पद	दिनांक से	दिनांक तक	परिलब्धियाँ
.....			
मूल नियम-9 (21) (1) में परिभाषित			
1.	2.	3.	4.

योग (सतम्भ 4 का) :- 10 रू०

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण में अंकित पेंशन हेतु अर्ह सेवा अवधि तथा वेतन परिलब्धियों नियमों के परिप्रेक्ष्य में सम्प्रेक्षित एवं सत्यापित हैं ।

हस्ताक्षर :

(वित्त नियंत्रक का नाम दिनांक सहित)
विश्वविद्यालय का नाम

13. पेंशन का आगणन
14. सर्विस ग्रेच्युटी का आगणन (पेंशन अर्ह सेवा 10 वर्ष से कम होने पर पेंशन के स्थान पर अनुमन्य)
.....
15. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी का आगणन
16. सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती (यदि कोई हो)
17. शुद्ध सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि
18. पारिवारिक पेंशन का आगणन-
(क) सामान्य दर
- (ख) 7 वर्ष की सेवा के उपरान्त मृत्यु की दशा में दिनांक से रु०
प्रतिमाह तथा दिनांकसे रु०प्रतिमाह (सामान्य दर)
19. पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रारम्भ होने का दिनांक
20. पेंशन का भाग अथवा धनराशि, जिसका राशिकरणअनुमन्य है ।
21. राशिकृत मूल्य का आगणन
22. राशिकरण के उपरान्त अनुमन्य पेंशन की धनराशि
23. कोषागार का नाम जहाँ से पेंशन/सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु ग्रेच्युटी/राशिकरण के भुगतान आहरित किए जायेंगे ।
.....
24. अनन्तिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन (यदि कोई स्वीकृत की गई हो)
25. अनन्तिम सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी (यदि कोई स्वीकृत की गई हो)
26. पेंशन प्रपत्रों के प्रेषण की तिथि के पूर्व अर्थात् दिनांक (यदि तिथि सेवानिवृत्ति के ठीक आठ माह पूर्व की होनी चाहिए) तक :-
(1) भवन निर्माण अग्रिम में से रु० की धनराशि देना शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है ।
(2) मोटरकार/मोटरसाइकिल/स्कूटर/मोपेड आदि अग्रिम में से रु० की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है ।
(3) किसी अन्य प्रकार के अग्रिम में से रु० की धनराशि शेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है ।
(4) सरकारी भवन में आवास करने हेतु दिनांक तक रु० की धनराशि किराये के रूप में अवशेष है/कोई धनराशि शेष नहीं है तथा सेवानिवृत्ति दिनांक तक रु० और देना शेष रह जायेगा ।
(5) आडिट के परिणामस्वरूप रु० की धनराशि देय है/ कोई धनराशि देय नहीं है ।
(6) विभागीय अथवा किसी अन्य कार्यवाही के परिणामस्वरूप रु०..... की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है ।
(7) अन्य मदों में (मद स्पष्ट की जाये) रु० की धनराशि देय है/कोई धनराशि देय नहीं है ।
27. क्या श्री..... (शिक्षक/शिक्षणेत्र सेवक का नाम) के विरुद्ध कोई न्यायिक/वैभागीक अथवा प्रशासनधिकरण जाँच लम्बित है, यदि हाँ, तो वर्तमान स्थिति बताई जाये ।
(यदि लम्बित है तो उसका संक्षिप्त विवरण, जैसे यदि सरकार को वित्तीय हानि पहुँचायी गयी हो तो उसका आधार एवं धनराशि अथवा यदि गम्भीर दुराचरण के दोषी हो तो उसका विवरण दिया जाय ।)
नोट :- वित्त नियंत्रक/कुलपति यह सुनिश्चित कर लें कि समस्त कॉलम स्पष्ट रूप से पूर्ण किये गये हों । विश्वविद्यालय के शिक्षक/शिक्षणेत्र सेवक के मामले में पेंशन ग्रेच्युटी तथा राशिकरण में से जो अनुमन्य नहीं है उस कॉलम को (X) काट दें ।